

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 1968/कार्तिक 21, 1890

No. 209]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 1968/KARTIKA 21, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November 1968

G.S.R. 2023.—In pursuance of section 12A of the Essential Commodities Act, 1953 (10 of 1955), the Central Government hereby specifies the Uttar Pradesh Oil Seeds and Oil Seed Products Control Order, 1966 made by the State Government of Uttar Pradesh to be a special order for purposes of summary trial under the said section.

[No. 1-1/68-ECON.PY.]

B. SIVARAMAN, Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1968

जी० एस० आर० 2024—अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के धारा 12-क के अनुसार केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा उल्लिखित धारा के अन्तर्गत संक्षिप्त विचारण के प्रयोजनों के लिए एक विशेष आदेश के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश तिलहनों तथा तिलहन पदार्थ नियंत्रण आदेश, 1966 को विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 1-1/68-अर्थ नीति.]

बी० शिवरामन्, सचिव।